रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2005/आश्विन 25, 1927
No. 431] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2005/ASVINA 25, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2005

1/2005-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 633(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी द्रव्य अधिनियम, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्तूबर, 2005 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2006 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है:-

प्रस्तावना

भारत सरकार (जिसे इसके बाद सरकार कहा गया है)

अफीम के अनिवार्य औषधीय उपयोग पर विचार करते हुए,

स्वापकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कच्ची सामग्री के एक मात्र वैध आपूर्तिकर्ता के रुप में अपनी भूमिका को समझते हुए, और

औषध के अवैध व्यापार और औषध के दुरुपयोग की रोकथाम करने और उसका सामना करने की आवश्यकता के प्रति सजगता दर्शाते हुए,

एतद्द्वारा फसल वर्ष 2005-2006 के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्तें निर्धारित करती है:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. कृषि हेतु पात्रता

(क) केवल वही किसान, जिन्होंने मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में औसतन कम से कम 54 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 48 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की अर्हक उपज सौंपी है, लाइसेंस के पात्र होंगे।

(ख) उपर्युक्त मानदंड निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों पर लागू नहीं होंगे :-

(i) जिन्होंने इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार सरकारी देख-रेख में फसल वर्ष 2004-2005 के

दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त की फसल को नष्ट किया हो । तथापि यह खंड उन पर लागू नहीं होगा जिन्होंने वर्ष 2003-04 के दौरान भी अपनी संपूर्ण पोस्त फसल को नष्ट कर दिया था।

(ii) जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2004-2005 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो, अथवा

(iii) जिन्होंने फसल वर्ष 2002-03 अथवा किसी परवर्ती वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश पोस्त की खेती न की हो ।

(IV) बारां जिले की छब्बरा तहसील तथा झालावाड़ जिले की अकलेरा तहसील के कृषकों द्वारा सौंपी जाने वाली न्यूनतम अर्हक उपज (एम क्यू वाई) 70 डिग्री गाढ़ेपन पर 25 कि.ग्रा.प्रति हेक्टेयर होगी । बारां जिले की छीपाबड़ोद तहसील के कृषकों द्वारा सौंपी जाने वाली न्यूनतम अर्हक उपज (एम क्यू वाई) 70 डिग्री गाढ़ेपन पर 20 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर होगी तथा झालावाड़ जिले की मनोहरथाना तहसील के कृषकों के लिए यह 70 डिग्री गाढ़ेपन पर 15 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर होगी । उपर्युक्त उल्लिखित निम्नतर प्रति हैक्टेयर न्यूनतम अर्हक उपज केवल उपर्युक्त उल्लिखित तहसीलों में ही लागू होगी और निम्नतर अर्हक उपज का लाभ राजस्थान के उन अन्य तहसीलों/जिलों के संबंध में लागू नहीं होगा जहां फसल वर्ष 2004-05 में पोस्त की खेती की गई थी ।

3. लाइसेंस की शर्तें

(क) किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो :-

(i) उसने फसल वर्ष 2004-2005 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो,

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो,

(iii) फसल वर्ष 2004-2005 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो अथवा सरकार को अफीम देने से पहले/देते समय उसके द्वारा प्राप्त अफीम में कोई मिलावट न की हो । राजकीय अफीम फैक्ट्री नीमच/गाजीपुर द्वारा घटिया के रुप में वर्गीकृत अफीम को मिलावटी अफीम माना जाएगा ।

(iv) जिन किसानों ने फसल वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसी अफीम सौंपी हो जिसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया हो तो उन किसानों को फसल वर्ष 2005-06 के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा ।

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों को 10 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा । तथापि, किसान अपनी क्षमता और पानी की उपलब्धता के अनुसार लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।

(ii) कोई भी किसान अधिकतम दो भूखडों में अफीम पोस्त बो सकता है।

(iii) ऊपर बताई गई बातों के बावजूद, सरकार अफीम की खेती करने वालों राज्यों में अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों को 10 आरी से अधिक क्षेत्र की अनुमति दे सकती है।

5. माफी योग्य सीमा

अतिरिक्त खेती के संबंध में माफी योग्य सीमा लाइसेंसशुदा क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।